न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/02/2023
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2023/1

अपीलार्थी
श्री संदीप कुमार जैमन,
डी–81, इन्दिरा कॉलोनी, दौसा (राज.)–303303

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, राजगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 03.01.2023
प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 07.02.2023

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 12.12.2022 के द्वारा राजस्व ग्राम–रूपबास, लोसल व तालाब अंतर्गत ख0नं0 18,18/511 व 14/470 के मुआवजा संबंधी कुल 03 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. 83 दिनांकः 17.01.2023 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 12.12.2022 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में ही विनिश्चय किया जाकर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है किन्तु अपीलार्थी द्वारा अपीलान्तर्गत सूचना नहीं मिलने बाबत अभिकथन प्रस्तुत किया है।
7. अतः उक्त आलोक में प्रश्नगत **अपील आंशिक स्वीकार** की जाती है। प्रत्यर्थी को निर्दिष्ट किया जाता है कि पूर्व प्रेषित सूचना/विनिश्चय प्रति, पुनः जरिये पंजीकृत–पत्र अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।
8. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. आज दिनांकः 07.02.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(नवीन यादव)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज.)

न्या० अति० जि० कल० एवं अति० जि० मजि० ★ राजस्थान सरकार ★ प्रशासन (द्वितीय) अलवर